FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)

(धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2024

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0088 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 17/05/2024 20:12 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 07/05/2024 **Date To (दिनांक तक):** 16/05/2024

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 16:45 बजे **Time To (समय तक):** 08:40 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 17/05/2024 **Time (समय):** 18:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 003 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 17/05/2024 20:12:55 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH, 550 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** JN 89, JAIHIND NAGAR DUNGRPUR

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** SHANKARLAL

(b) **Father's/Mother's/Husband's Name (पिता / माता / पति का नाम):**

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1961 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	MANPUR, POST KHERA KCHCHHAWASA, VAYA DAMDI, DOVRA, DUNGARPUR, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	MANPUR, POST KHERA KCHCHHAWASA, VAYA DAMDI, DOVRA, DUNGARPUR, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** 91-9928637508

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	DINESH PANCHAL		पिता:NATHULAL PANCHAL	1. JN 89,JAIHIND NAGAR,DUNGARPUR,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये	रिश्वती राशि पच्चीस हजार रूपये	25,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 25,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदयजी, वाकियात मामला इस प्रकार हैं कि दिनांक 07-05-2024 को परिवादी शंकर लाल पुत्र श्री कानजी कटारा निवासी मनपुर पोस्ट खेडा कच्छवासा वाया दामडी, तहसील दोवडा जिला डूंगरपुर ने कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, डूंगरपुर पर उपस्थित होकर मन् पुलिस उप अधीक्षक को एक हस्तलिखित रिपोर्ट मय हस्ताक्षरशुदा इस आशय की प्रस्तुत की कि "मेरी कृषि भूमि ग्राम मनपुर पटवार मण्डल खेडा कच्छवासा में होकर सामलियात हमारे परिवारजनों के खाते हैं। जिसका नियमानुसार बटवारा करने हेतु न्यायालय उपखण्ड अधिकारी डूंगरपुर द्वारा प्रकरण संख्या 83/2019 रेवेन्यू दायर दिनांक 31.12.2019 अंतिम डिग्री निर्णय दिनांक 22.03.2023 द्वारा फैसला करते हुए हमारे नाम जमीन राजस्व रिकार्ड में अंकित करते हुए अलग-अलग खाते कायम करने का आदेश पारित किया गया हैं। मेरे द्वारा उक्त आदेश की पालना करने हेतु रिपोर्ट तहसील डूंगरपुर में दी थी। तहसील डूंगरपुर का गिरदावर श्री दिनेश पंचाल उक्त आदेश की पालना में हमारे सामलियात कृषि भूमि का अलग-अलग नाम से इन्तकाल खोलने के बदले में 50,000 रूपये रिश्वत् की मांग कर रहा हैं। मैं दिनेश पंचाल को रिश्वत् राशि नहीं देना चाहता हूँ रिश्वत् लेते हुए रंगे हाथों पकडवाना चाहता हूँ मेरी दिनेश पंचाल से पुरानी कोई दुश्मनी या लेन-देन बाकी नहीं हैं। कार्यवाही करावें।" परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर परिवादी से दरियाफ्त की गयी तो मामला रिश्वत राशि लेन-देन का पाया गया। परिवादी ने यह भी बताया कि संदिग्ध कल दिनांक 08.05.2024 को सुबह घर पर ही मिल जायेगा और मेरे से बात भी कर लेगा। जिस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा कार्यालय में पदस्थापित श्री जितेन्द्र कुमार कानि. को अपने कक्ष में बुलाकर परिवादी श्री शंकरलाल से आपस में परिचय करवाया जाकर कानि. श्री जितेन्द्र कुमार से कार्यालय हाजा की अलमारी से डिजिटल टेप रिकॉर्डर को मंगवाकर परिवादी को उक्त डिजिटल टेप रिकॉर्डर के संचालन की विधि समझायी गयी व रिकॉर्डर को अलमारी में सुरक्षित रखवाया गया। तत्पश्चात् परिवादी को कल दिनांक 08.05.2024 को समय करीब 07.45 एएम पर नया बसस्टेण्ड डूंगरपुर उपस्थित रहने की हिदायत देकर रवाना किया गया। कानि. श्री जितेन्द्र कुमार को कल सुबह मय डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड के समय करीब 07.45 एएम पर नया बसस्टेण्ड डूंगरपुर पर पहुॅच परिवादी से मिल कर रिश्वत् मांग सत्यापन की कार्यवाही कराने हेतु निर्देशित किया गया। दिनांक 08-05-2024 को करीब समय 09.15 एएम पर श्री जितेन्द्र कुमार कानि. एवं परिवादी शंकरलाल कार्यालय में उपस्थित हुये और मन् पुलिस उप अधीक्षक को बताया कि मैं सुबह कार्यालय से रवाना हो करीब 07.45 एएम पर नया बसस्टेण्ड डूंगरपुर पंहुच परिवादी से मिला और परिवादी को लेकर संदिग्ध के घर के पास पहुंच परिवादी को डिजिटल टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड के चालू करके सुपुर्द किया गया और रिश्वत् मांग सत्यापन हेतु संदिग्ध के घर की ओर रवाना किया। मैं भी परिवादी के पिछे-पिछे संदिग्ध के घर की तरफ रवाना हुआ। तत्पश्चात् समय करीब 08.50 एएम पर परिवादी मेरे पास आया और डिजिटल टेप रिकॉर्डर चालु अवस्था में मुझे दिया जिसे मैने बंद किया। पास ही खडे परिवादी ने बताया कि मैं संदिग्ध से मिला तो उन्होने मुझसे ज्यादा बात नहीं करते हुए बताया कि कल या परसो मैं आपको फोन कर बता दूंगा कि कितने पैसे देने हैं। जिस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा परिवादी को हिदायत दी कि संदिग्ध का जब भी फोन आये तो आप कार्यालय उपस्थित हो जाना एवं गोपनीयता रखने की हिदायत देकर रवाना किया। कानि. श्री जितेन्द्र कुमार से डिजिटल टेप रिकार्डर को कार्यालय की अलमारी में सुरक्षित रखवाया एवं हिदायत दी कि परिवादी का जब भी फोन आये तो रिश्वत् मांग सत्यापन की कार्यवाही करावें। दिनांक 13-05-2024 को करीब समय 10.30 एएम पर श्री जितेन्द्र कुमार कानि एवं परिवादी श्री शंकर लाल उपस्थित कार्यालय हुए एवं श्री जितेन्द्र कुमार कानि ने ब्यूरो का डिजिटल टेप रिकॉर्डर मन् पुलिस उप अधीक्षक को पेश करते हुए बताया कि सुबह करीब 06.30 एएम पर परिवादी ने मुझे फोन कर बताया कि आज संदिग्ध से बात करने जाना हैं तो मैने परिवादी को ब्यूरो कार्यालय डूंगरपुर पर बुलाया। जिस पर थोडी ही देर में परिवादी ब्यूरो कार्यालय डूंगरपुर पर उपस्थित आया। तत्पश्चात् मैं और परिवादी आपके निर्देशानुसार ब्यूरो कार्यालय डूंगरपुर से रवाना होकर संदिग्ध के घर स्थित जयहिन्द नगर डूंगरपुर के पास पहुंचे एवं मैंने परिवादी को डिजिटल टेप रिकॉर्डर को चालू करके सुपुर्द कर आवश्यक हिदायत देकर समय करीब 09.59 एएम पर संदिग्ध से रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता कर लाने हेतु संदिग्ध के घर की तरफ रवाना किया था। मैं संदिग्ध के घर के आसपास ही अपनी उपस्थिति छिपाये परिवादी के आने के इंतजार में रहा। जिसके करीब आधे घंटे बाद परिवादी मेरे से आकर मिला और टेप रिकॉर्डर मुझे दिया। जिसको मेरे द्वारा बंद कर सुरक्षित अपने पास रख लिया। परिवादी ने मुझे बताया कि मेरी संदिग्ध से

बात हुई तो उसने मुझे इन्तकाल खोलने की एवज में 25000 रूपये लगेंगे, एक-दो दिन में मुझे लाकर दे देना। उक्त वार्ता को मैंने आपके द्वारा दिये गये डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर ली है। तत्पश्चात हम दोनो वहां से रवाना होकर हाजिर आये है। परिवादी ने भी कानि के कथनों की ताईद की। जिस पर मेरे द्वारा टेप रिकॉर्डर को चलाकर सुना गया तो कानि. एवं परिवादी के कथनों की ताईद हुई। संदिग्ध के द्वारा परिवादी से रिश्वत मांग करने की पुष्टि हुई। डिजिटल टेप रिकॉर्डर को कार्यालय की अलमारी में सुरक्षित रखवाया गया। मामला रिश्वत राशि लेनदेन का पाया जाने से परिवादी श्री शंकर लाल को संदिग्ध को रिश्वत में दी जाने वाली राशि की व्यवस्था कर दिनांक 15.05.2024 को प्रातः 06.00 बजे ब्यूरो कार्यालय डूंगरपुर पर उपस्थित होने एवं गोपनीयता बरतने की हिदायत देते हुए रूखसत किया गया एवं ब्यूरो कार्यालय के जाप्ते को भी दिनांक 15-05-2024 को प्रातः 06.00 बजे कार्यालय में उपस्थित होने हेतु पाबंद किया गया। दिनांक 14-05-2024 को करीब समय 05.10 पीएम पर दिनांक 15.05.2024 को की जाने वाली ट्रेप कार्यवाही में स्वतंत्र गवाहान की आवश्यकता होने से गवाहान की तलबी हेतु श्रीमान् जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा जिला डूंगरपुर के नाम तहरीर जारी कर श्री जितेन्द्र कुमार कानि. को कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा जिला डूंगरपुर भिजवाया गया। समय करीब 06.05 पीएम पर श्री जितेन्द्र कुमार कानि. ने उपस्थित कार्यालय होकर गवाह पाबंद तेहरीर पेश करते हुए मन् पुलिस उप अधीक्षक को बताया कि आपके निर्देशानुसार कार्यालय से रवाना हो कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा जिला डूंगरपुर पहुंच दो स्वतंत्र गवाहान कल दिनांक 15-05-2024 को प्रातः 06.00 बजे कार्यालय भ्र.नि.ब्यूरो, डूंगरपुर में उपस्थिति देने हेतु तेहरीर दी गयी। जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय), माध्यमिक डूंगरपुर द्वारा अपने कार्यालय आदेश क्रमांक 136 दिनांक 14.05.2024 जारी कर श्री विजय राम खराडी प्रशासनिक अधिकारी एवं श्री प्रवीण कुमार सिंह चुण्डावत शारिरिक शिक्षक को स्वतंत्र गवाहान हेतु नामित किया गया। तहरीर एवं आदेश की प्रति को शामील कार्यवाही की गयी। दिनांक 15-05-2024 को करीब समय 06.30 एएम पर पूर्व में पाबंदशुदा स्वतंत्र गवाहान श्री विजयराम पुत्र श्री जीवरामजी खराडी जाति मीणा, उम्र 51 वर्ष, निवासी बलवनिया पोस्ट सारवाडा, तहसील झौथरी, जिला डूंगरपुर हाल प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय जिला शिक्षाधिकारी(मुख्यालय), माध्यमिक, डूंगरपुर तथा श्री प्रवीण कुमार सिंह पुत्र श्री पदम सिंह चुण्डावत जाति राजपुत, उम्र 52 वर्ष निवासी- एसएफ 28, शिवाजी नगर, डूंगरपुर हाल- शारिरिक शिक्षक कार्यालय जिला शिक्षाधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक, डूंगरपुर उपस्थित कार्यालय हुए। जिन्हें कार्यालय कक्ष में बिठाया गया। समय करीब 06.40 एएम पर परिवादी श्री शंकर लाल उपस्थित कार्यालय होकर मन् पुलिस उप अधीक्षक को बताया कि आरोपी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि की व्यवस्था करने में समय लग गया। परिवादी श्री शंकरलाल रिश्वत में दिये जाने वाले 25,000 रूपये की व्यवस्था कर लाया हूँ तत्पश्चात् परिवादी को कार्यालय कक्ष में पूर्व से बैठे दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री विजयराम खराडी एवं श्री प्रवीण कुमार सिंह से आपस में परिचय कराया गया। परिवादी के समक्ष ही श्री विजयराम खराडी एवं श्री प्रवीण कुमार सिंह को ब्यूरो द्वारा की जा रही ट्रैप कार्यवाही में स्वतंत्र गवाहान रहने हेतु सहमति चाही गयी तो दोनो गवाहान ने अपनी-अपनी मौखिक सहमति व्यक्त की। इसके उपरांत परिवादी द्वारा दिनांक 07-05-2024 को पेश की गयी लिखित रिपोर्ट को दोनो स्वतंत्र गवाहान को पढकर सुनायी गयी तो परिवादी द्वारा उक्त लिखित रिपोर्ट शब्द ब शब्द सही होना स्वीकार करते हुए रिपोर्ट पर अपने स्वयं के हस्ताक्षर होना बताया। उक्त रिपोर्ट पर दोनो स्वतंत्र गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये। समय करीब 07.00 एएम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक ने कार्यालय की अलमारी में रखे डिजिटल टेप रिकॉर्डर जिसमें दिनांक 08-05-2024 एवं दिनांक 13.05.2024 को परिवादी एवं संदिग्ध श्री दिनेश पंचाल के बीच हुई वार्ताऐ रिकॉर्ड है, को दोनों स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी के समक्ष डिजिटल टेपरिकार्डर चला कर मुख्य-मुख्य अंश सुनाये गये, तो दोनों गवाहान ने भी संदिग्ध के द्वारा परिवादी से रिश्वत मांगने की पुष्टि की। समयाभाव के चलते उक्त वार्ताओ की फर्द ट्रांसक्रिप्ट अकब से मुर्तिब की गई। समय करीब 08.00 एएम पर उपरोक्त गवाहान के समक्ष मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री शंकरलाल से संदिग्ध श्री दिनेश पंचाल हाल भू-अभिलेख निरीक्षक कार्यालय भू-अभिलेख निरीक्षक बिलडी, तहसील व जिला डूंगरपुर को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने हेतु कहने पर परिवादी ने अपने पास से 500-500 रूपये के 50 नोट कुल राशि 25,000 रूपये (पच्चीस हजार रूपये) भारतीय चलन मुद्रा के करेन्सी नोट पेश किये। उपरोक्त समस्त नोटों के नम्बर निम्नानुसार हैः- 0AH 119396, 0AH119397, 0AH 119398, 0AH 119399, 0AH 1193400, 0AH 119401, 0AH 119402, 0AH 119403, 0AH 119404, 0AH 119405, 0AH 119406, 0AH 119407, 0AH 119378, 0AH 119379, 0AH 119380, 0AH 119381, 0AH 119382, 0AH 119383, 0AH 119384, 0AH 119385, 0AH 119386, 0AH 119387, 0AH 119388, 0AH 119389, 0AH 119390, 0AH 119391, 0AH 119392, 0AH 119393, 0AH 119394, 0AH 119395, 0AH 119408, 0AH 119409, 0AH 119410, 0AH 119411, 0AH 119412, 0AH 119413, 0AH 119414, 0AH 119415, 0AH 119416, 0AH 119417, 1AA 323764, 1AA 323765, 3AH 411920, 9AG 197315, 0UR 954542, 8AG426317, 8AG 426318, 8AG 426319, 8AG 426320, 8AG 426321 परिवादी श्री शंकर लाल द्वारा पेश किये गये उक्त समस्त नोटो पर श्री वीर विक्रम सिंह कानि. से ब्यूरो कार्यालय के मालखाने की अलमारी से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी को मंगवाया जाकर कार्यालय के टेबल पर अखबार बिछाकर अखबार पर उपरोक्त समस्त नोटों के दोनों ओर फिनोफ्थलीन

पाउडर कानि. श्री वीर विक्रम सिंह स्वतंत्र गवाहान के समक्ष लगवाया गया। तत्पश्चात परिवादी की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री विजयराम खराडी से लिवायी जाकर उक्त नोटों को श्री वीर विक्रम सिंह कानि. से परिवादी की पहनी हुई पेन्ट की सामने की दाहिनी जेब में कोई शैः नही छोडते हुए रखवाये गये। तत्पश्चात् श्री महेश चन्द्र कानि. से एक साफ प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास में साफ पानी भरवाकर मंगवाया इसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवा कर घोल तैयार करवाया जाकर गवाहान एवं परिवादी को दिखाया गया तो उन्होनें घोल का रंग अपरिवर्तित होना स्वीकार किया। इस रंगहीन घोल में वीर विक्रम सिंह कानि. की उंगलियों व अंगुठे को डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रकार परिवादी तथा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष फिनोफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रतिक्रिया प्रदर्शित कर बताई गई एवं उसके मन्तव्य से अवगत कराते हुए बताया कि यदि आरोपी द्वारा परिवादी से रिश्वती राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण करेगा तो नोटों पर लगा फिनोफ्थलीन पाउडर उनकी हाथों की अंगुलियों व अंगुठे पर लग जाएगा और जब उसके हाथों की उंगलियों व अंगुठे को उपरोक्तानुसार धुलाई जाएगी तो घोल का रंग गुलाबी हो जाएगा। जिससे यह प्रमाणित होगा कि आरोपी ने रिश्वती राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण की है। उक्त गुलाबी घोल को श्री वीर विक्रम सिंह कानि. से बाहर फिकवाया गया तथा अखबार व प्लास्टिक डिस्पोजल गिलास को जलाकर नष्ट किया गया। फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी को श्री वीर विक्रम सिंह कानि. से कार्यालय के मालखाने की अलामारी में पुनः सुरक्षित रखवाई गई। परिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि वह आरोपी के द्वारा रिश्वती राशि मांगने पर ही उसे देवे तथा रिश्वती राशि देने से पूर्व या देने के बाद उसके शरीर के किसी अंग को नहीं छुए। यदि अभिवादन की आवश्यकता हो तो हाथ जोड़कर अभिवादन करें। परिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि रिश्वती राशि देते समय जल्दबाजी व घबराहट का प्रर्दशन न करे, तथा रिश्वती राशि दे चुकने के बाद अपने सिर पर दो बार हाथ फेरकर रिश्वती राशि स्वीकारोक्ति का ईशारा करे अथवा मौका मिलने पर अपने मोबाइल से मन् पुलिस उप अधीक्षक के मोबाइल पर कॉल करने का गोपनीय निर्धारित ईशारा करें। यह निर्धारित ईशारा ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों को समझाया गया तथा परिवादी को मन् पुलिस उप अधीक्षक के मोबाईल नम्बर दिये गये। श्री महेश चन्द्र कानि. से ट्रेप कार्यवाही में प्रयुक्त होने वाली कांच की शिशियॉ, ढक्कन, चम्मच एवं प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास इत्यादि को साफ पानी व साबुन से दो बार धुलवाकर ट्रेप बाक्स में रखवाये गये। इसके पश्चात् मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा दोनो गवाहान, परिवादी एवं स्टाफ का आपस में परिचय करवाया गया। तत्पश्चात गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सदस्यों को यह भी हिदायत दी गई कि यथासंभव अपनी-अपनी उपस्थिति को छिपाते हुए परिवादी तथा आरोपी के मध्य रिश्वती राशि के लेन-देन को देखने व सुनने का प्रयास करे एवं परिवादी को डिजीटल टेप रिकार्डर देते हुए हिदायत दी गई कि वह रिश्वती राशि के लेन-देन के वक्त आरोपी से होने वाली वार्तालाप को रिकॉर्ड करें। परिवादी, स्वतंत्र गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। श्री वीर विक्रम सिंह कानि. को बाद हिदायत ब्यूरो कार्यालय मे ही उपस्थित रहने की हिदायत दी गई। तत्पश्चात् गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सदस्यों को यह भी हिदायत दी गई कि यथासंभव अपनी-अपनी उपस्थिति को छिपाते हुए परिवादी तथा आरोपी के मध्य रिश्वती राशि के लेन-देन को देखने व सुनने का प्रयास करें। समय करीब 09.00 एएम पर परिवादी श्री शंकरलाल को उसकी निजी मोटर साईकिल एवं पिछ-पिछे श्री जितेन्द्र कुमार कानि. को मय टेप रिकार्डर के उसकी निजी मोटर साईकिल से, श्री धीरेन्द्र सिंह कानि. एवं श्री महेश चन्द्र कानि. को निजी मोटरसाईकिल, दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री विजयराम खराडी एवं श्री प्रवीण कुमार सिंह एवं श्री नारायणलाल स.प्र.अ. मय लेपटॉप, प्रिन्टर मय टे[a]प बॉक्स इत्यादि संसाधन के सरकारी वाहन से ट्रैप कार्यवाही हेतु संदिग्ध के निवास स्थल स्थित जयहिन्दनगर डूंगरपुर के लिए रवाना करते हुए पिछे-पिछे मन् पुलिस उप अधीक्षक एवं श्री बाबूलाल कानि. सरकारी मोटर साईकिल से रवाना संदिग्ध आरोपी के घर की तरफ रवाना हुआ। समय करीब 09.10 एएम पर सभी रवानाशुदा संदिग्ध के घर के आस-पास पहुंच सभी अपने-अपने वाहनों को साईड में खडा कर परिवादी को रिश्वत राशि लेनदेन के वक्त होने वाली वार्ता को ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकॉर्डर को सुपुर्द कर संदिग्ध से लेन-देन के वक्त होने वाली वार्ता को रिकॉर्ड करने की हिदायत देते हुए रवाना किया गया। हम सभी आस-पास अपनी अपनी उपस्थिति छिपाये हुए परिवादी के निर्धारित ईशारे के इंतजार में रहे। समय करीब 09.55 एएम पर परिवादी संदिगध के घर से बाहर आकर बिना ईशारा किये मन् पुलिस उप अधीक्षक के पास आकर डिजिटल टेप रिकॉर्डर पेश किया जिसे मैने बंद किया। परिवादी ने बताया कि मैं आपके निर्देशानुसार मैं संदिगध के घर गया लेकिन संदिग्ध उसके घर पर नहीं मिला। जिस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक मय हमराहियानों के संदिग्ध के घर के आस-पास से रवाना हो ब्यूरो कार्यालय डूंगरपुर पहुंचे। डिजिटल टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड एवं रिश्वत् राशि परिवादी की पहनी हुई पेन्ट की आगे की दाहिनी जेब से श्री वीर विक्रम सिंह से निकलवाई जाकर एक सफेद कागज में लपेटकर कार्यालय के अलमारी में सुरक्षित रखवाये गये। दोनों स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी को गोपनीयता बरतने की आवश्यक हिदायत देते हुए कल दिनांक 16.05.2024 को समय 07.00 एएम पर उपस्थित होने एवं गोपनीयता बरतने की आवश्यक हिदायत देते हुए रवाना किया गया। दिनांक 16-05-2024 को समय करीब 07.15 एएम पर पूर्व पाबन्दशुदा दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री विजयराम एवं प्रवीण कुमार सिंह उपस्थित कार्यालय हुए जिन्हे मेरे कार्यालय कक्ष में बिठाये गये। समय करीब 07.30 एएम पर पूर्व पाबन्दशुदा परिवादी श्री शंकरलाल कार्यालय में उपस्थित हुआ। श्री वीर विक्रम कानि. से कार्यालय की अलमारी से डिजिटल टेप रिकार्डर मय मेमोरी एवं रिश्वत

राशि मंगवाई जाकर दोनों स्वतंत्र गवाहान एवं उपस्थियान के समक्ष परिवादी के पहनी हुई पेन्ट की सामने की दाहिनी जेब में कोई शैः नहीं छोडते हुए श्री वीर विक्रम सिंह कानि. से रखवाये गये। जिस सफेद कागज में रिश्वत राशि सुरक्षित रखी हुई थी। उक्त सफेद कागज को श्री वीर विक्रम सिंह कानि. से जलवा कर नष्ट किया गया एवं वीर विक्रम सिंह कानि. को बाद हिदायत ब्यूरो कार्यालय मे ही उपस्थित रहने की हिदायत दी गई। समय करीब 08.00 एएम पर परिवादी श्री शंकरलाल को उसकी निजी मोटर साईकिल एवं पिछ-पिछे श्री जितेन्द्र कुमार कानि. को मय टेप रिकार्डर के उसकी निजी मोटर साईकिल से, श्री धीरेन्द्र सिंह कानि. एवं श्री महेश चन्द्र कानि. को निजी मोटरसाईकिल, दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री विजयराम खराडी एवं श्री प्रवीण कुमार सिंह एवं श्री नारायणलाल स.प्र.अ. मय लेपटॉप, प्रिन्टर मय ट्रैप बॉक्स इत्यादि संसाधन के सरकारी वाहन से टे^प कार्यवाही हेतु संदिग्ध के निवास स्थल स्थित जयहिन्दनगर डूंगरपुर के लिए रवाना करते हुए पिछे-पिछे मन् पुलिस उप अधीक्षक एवं श्री बाबूलाल कानि. सरकारी मोटर साईकिल से रवाना हुआ। समय करीब 08.04 एएम पर सभी रवानाशुदा संदिग्ध के घर के आस-पास पहुंच सभी अपने-अपने वाहनों को साईड में खडा कर परिवादी को रिश्वत राशि लेनदेन के वक्त होने वाली वार्ता को ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकॉर्डर को सुपुर्द कर संदिग्ध से लेन-देन के वक्त होने वाली वार्ता को रिकॉर्ड करने की हिदायत देते हुए रवाना किया गया। हम सभी आस-पास अपनी अपनी उपस्थिति छिपाये हुए परिवादी के निर्धारित ईशारे के इंतजार में रहे। समय करीब 08.40 एएम पर परिवादी संदिग्ध के घर से बाहर आकर बिना ईशारा किये मन् पुलिस उप अधीक्षक के पास आकर डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड पेश किया जिसे मैंने बंद कर अपने पास रख लिया। परिवादी ने बताया कि आपके निर्देशानुसार मैं संदिग्ध के घर पहुंचा जहां संदिग्ध श्री दिनेश पंचाल मिले। जिनसे मैंने बात करते हुए कहा कि अब मेरा काम हो जाना चाहिए और मैं 25,000 रूपये देकर आपके पास आ गया। हमारे बीच जो वार्ता हुई है, उसे मैंने डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर ली है। जिस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान एवं हमराहीयान के परिवादी को साथ में लेकर संदिग्ध श्री दिनेश पंचाल के घर पहुंचा जहॉ पर संदिग्ध के अलावा एक औरत एवं एक बच्चा मिला। परिवादी ने संदिग्ध की तरफ ईशारा कर बताया कि ये गिरदावर साहब दिनेशजी है। जिन्होने अभी-अभी मेरे से रिश्वत् की राशि 25,000 रूपये अपने हाथों से ग्रहण कर अपनी पहनी हुई पेन्ट की सामने की बायी जेब में रखे और मैं मेरा काम कर देना कह कर आपके पास आ गया। जिस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा स्वयं एवं हमराहीयान का परिचय देकर आने का मन्तव्य बताते हुए उस व्यक्ति को उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम श्री दिनेश पंचाल पुत्र श्री नाथूलाल पंचाल उम्र 50 वर्ष, जाति पंचाल निवासी मकान नं. जेएन 89 जयहिन्द नगर पुलिस थाना कोतवाली जिला डूंगरपुर हाल भू-अभिलेख निरीक्षक कार्यालय भू-अभिलेख निरीक्षक बिलडी, तहसील व जिला डूंगरपुर होना बताया। औरत मेरी पत्नी किरण व बेटा वरूण है। जिस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा उपस्थितिन के समक्ष ही आरोपी श्री दिनेश पंचाल को परिवादी श्री शंकरलाल से ली गई रिश्वत् राशि के बारे में पूछा तो उसने बताया कि श्री शंकरलाल से रूपये लेकर मैंने पहनी हुई पेन्ट की सामने की बायी जेब में रखे एवं श्री शंकरलाल के जाने के बाद मैंने घर में बने बैठक रूम की दीवार में अलमारी की दराज में रखे हैं। जिस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा स्वतंत्र गवाह श्री प्रवीण कुमार सिंह से बैठक रूम में बनी अलमारी की तलाशी लिवाई गई तो अलमारी की दराज में लाल कलर की कपडे की थैली एवं पीले कलर का फाईल कवर था जिनके बिच में रिश्वत् राशि 500-500 रूपये के कुछ नोट पडे मिले। जिसे स्वतंत्र गवाहान श्री प्रवीण कुमार सिंह से बरामद करा दोनों स्वतंत्र गवाहान से पूर्व में मुर्तिब की गई फर्द पेशकशी से मिलान कराया गया तो हुबहु नोट मिले। जिसे मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा स्वतंत्र गवाह श्री प्रवीण कुमार सिंह को अपने पास सुरक्षित रखने हेतु निर्देशित किया। उक्त राशि को अलग से जरिये फर्द सीलचिट किया जावेगा। तत्पश्चात् मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा आरोपी श्री दिनेश पंचाल को उपस्थितगणों के समक्ष रिश्वत राशि 25,000 रूपये परिवादी श्री शंकरलाल से किस बात के लिये हैं पूछने पर उसने बताया कि साहब मेरे से गलती हो गई, मैंने परिवादी श्री शंकरलाल से उसके सामलियात कृषि भूमि का अलग-अलग नामान्तरण खोलने की एवज में लिये हैं। जिस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा पूछा कि आपने अपने खुद के लिए लिए हैं या और किसी को भी देने हैं इसमें से, तो उसने बताया कि साहब मेरे से गलती हो गई, मेरे लिये ही लिये हैं। तत्पश्चात् आरोपी श्री दिनेश पंचाल द्वारा रिश्वत राशि ग्रहण करना स्वीकार करने के उपरान्त हाथ धुलाई की कार्यवाही दोनो स्वतन्त्र गवाहान एवं परिवादी के समक्ष प्रारम्भ करते हुए सरकारी वाहन में से कानि. श्री महेश चन्द्र से ट्रेप बॉक्स को मंगवाया। ट्रैप बॉक्स में से दो साफ प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलासों को निकलवाकर उक्त गिलासों में आरोपी के घर से कानि. श्री महेश चन्द्र से साफ पानी भरवाकर इनमें एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा, जिन्हे दोनों स्वतन्त्र गवाहन व हाजरीन को दिखाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित होना स्वीकार किया। एक प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास के घोल में आरोपी श्री दिनेश पंचाल के दाहिने हाथ की अंगुलियो व अंगूठे को डुबोकर धुलवाई गई तो धोवन के घोल का रंग गुलाबी हुआ, जिसे हाजरीन ने स्वीकार किया। इस घोल को कॉंच की दो साफ शिशियों में आधा-आधा भरवाकर बन्द करा मार्क आर.एच.-1 व आर.एच.-2 अंकित करा सिलचिट कर चिट व कपड़े पर दोनों गवाहान, परिवादी, आरोपी व संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात् आरोपी श्री दिनेश पंचाल के बायें हाथ की अंगुलियो व अंगूठे को दूसरे प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास के घोल में डुबोकर धुलवाई गई तो धोवन के घोल का रंग गुलाबी हुआ, जिसे हाजरीन ने भी स्वीकार किया। इस घोल को कॉंच की दो साफ शिशियों में आधा-आधा भरवाकर बन्द करा मार्क

एल.एच.-1 व एल.एच.-2 अंकित करा सिलचिट कर चिट व कपड़े पर दोनो गवाहान, परिवादी, आरोपी एवं संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके उपरांत आरोपी के पहने हुए पेंट बरंग आसमानी की सामने की बायी साईड के जेब का धोवन लिया जाना आवश्यक होने से आरोपी की अन्य पेंट मंगवाकर पहनी हुई पेंट को ससम्मान उतरवाकर टे[a]प बॉक्स में से एक प्लास्टिक डिस्पोजल गिलास निकलवाकर उसमें आरोपी के घर से साफ पानी भरवाकर इनमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा, जिन्हें दोनो स्वतन्त्र गवाहन व हाजरीन को दिखाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित होना स्वीकार किया। उक्त घोल में आरोपी श्री दिनेश पंचाल की पेंट बरंग आसमानी की सामने की बायी साईड की जेब को उलटवाकर डुबोकर धुलवाई गई तो धोवन के घोल का रंग गहरा गुलाबी हुआ, जिसे हाजरीन ने स्वीकार किया। इस घोल को कॉंच की दो साफ शिशियों में आधा-आधा भरवाकर बन्द करा मार्क पी-1 व पी-2 अंकित करा सिलचिट कर चिट व कपड़े पर दोनो गवाहान, परिवादी, आरोपी एवं संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात उक्त पेंट की सामने की बायी साईड की जेब को सुखवाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करा पेंट को एक सफेद कपडे की थैली में रखवायी जाकर कपडे की थैली को सिलचिट कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। उसके बाद आरोपी के घर में बने बैठक रूम में बनी अलमारी के दराज मे पडी लाल कलर की कपडे की थैली एवं पीले कलर का फाईल कवर के बिच मिली रिश्वत राशि मिली थी। उक्त लाल कलर की कपडे की थैली एवं पीले कलर का फाईल कवर धोवन लिया जाना आवश्यक होने से ट्रैप बॉक्स में से एक प्लास्टिक डिस्पोजल गिलास निकलवाकर उसमें आरोपी के घर से साफ पानी भरवाकर इनमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा, जिन्हें दोनो स्वतन्त्र गवाहन व हाजरीन को दिखाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित होना स्वीकार किया। लाल कलर की कपडे की थैली एवं पीले कलर के फाईल कवर पर गिली रूई को घुमाया जाकर उक्त तैयारशुदा घोल में डुबोया गया तो घोल का रंग हल्का गुलाबी हो गया। जिसे हाजरीन ने स्वीकार किया। इस घोल को कॉंच की दो साफ शिशियों में आधा-आधा भरवाकर बन्द करा मार्क ए-1 व ए-2 अंकित करा सिलचिट कर चिट व कपड़े पर दोनो गवाहान, परिवादी, आरोपी एवं संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात उक्त लाल कलर की कपडे की थैली एवं पीले कलर का फाईल कवर को सुखवाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करा एक सफेद कपडे की थैली में रखवायी जाकर कपडे की थैली को सिलचिट कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात् स्वतंत्र गवाहान श्री प्रवीण कुमार सिंह के पास सुरक्षित रखी रिश्वत् जो 500-500 रूपये के 50 नोट कुल राशि 25000 रूपये जिनके नम्बर निम्नानुसार हैं- 0AH 119396, 0AH119397, 0AH 119398, 0AH 119399, 0AH 1193400, 0AH 119401, 0AH 119402, 0AH 119403, 0AH 119404, 0AH 119405, 0AH 119406, 0AH 119407, 0AH 119378, 0AH 119379, 0AH 119380, 0AH 119381, 0AH 119382, 0AH 119383, 0AH 119384, 0AH 119385, 0AH 119386, 0AH 119387, 0AH 119388, 0AH 119389, 0AH 119390, 0AH 119391, 0AH 119392, 0AH 119393, 0AH 119394, 0AH 119395, 0AH 119408, 0AH 119409, 0AH 119410, 0AH 119411, 0AH 119412, 0AH 119413, 0AH 119414, 0AH 119415, 0AH 119416, 0AH 119417, 1AA 323764, 1AA 323765, 3AH 411920, 9AG 197315, 0UR 954542, 8AG426317, 8AG 426318, 8AG 426319, 8AG 426320, 8AG 426321 उपरोक्त नोटों को सफेद कागज की चिट लगाकर नियमानुसार सीलचिट कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकगर वजह सबूत कब्जे ब्यूरो लिये गये। उक्त कार्यवाही की फर्द धुलाई एवं बरामदगी रिश्वती राशि पृथक से मूर्तिब कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय करीब 10.30 एएम पर तलविदाशुदा श्रीमती पंचवती महिला कानि0 नं0 726 पुलिस थाना कोतवाली जिला डूंगरपुर आरोपी के घर पर उपस्थित हुई। जिसे आरोपी की पत्नी श्रीमती किरण की निगरानी एवं सुरक्षा रखने हेतु निर्देशित किया गया। तत्पश्चात् मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा परिवादी एवं दोनो स्वतंत्र गवाहान .एवं आरोपी श्री दिनेश पंचाल के समक्ष दिनांक 08.05.2024 को समय करीब 08.15 एएम एवं दिनांक 13.05.2024 को समय करीब 10.03 एएम पर परिवादी श्री शंकरलाल एवं आरोपी श्री दिनेश पंचाल के मध्य आरोपी के निवास पर हुई रिष्वती राषि मांग सत्यापन वार्ता जिसे परिवादी द्वारा ब्यूरो के डिजीटल टेप रिकोर्डर में रिकोर्ड किया गया तथा दिनांक 16.05.2024 को दौराने ट्रेप कार्यवाही समय करीब 08.06 एएम पर परिवादी श्री शंकरलाल एवं आरोपी श्री दिनेश पंचाल के मध्य आरोपी के निवास पर हुई रिष्वती राषि लेनदेन वार्ता जिसे परिवादी द्वारा ब्यूरो के डिजीटल टेप रिकोर्डर में रिकोर्ड किया गया, उक्त सभी वार्ताओं को उपस्थितिन के समक्ष चलाकर सुनाई गई तो परिवादी ने उसमें एक आवाज स्वंय की एवं एक आवाज आरोपी की हैं एवं आरोपी ने एक आवाज अपनी स्वंय की होने की तथा दूसरी आवाज परिवादी श्री शंकरलाल की होने की ताईद की। जिस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा उक्त डिजीटल टेप रिकोर्डर को लेपटॉप से श्री बाबूलाल कानि. से कनेक्ट करवा वार्ताओं की 03-03 सीडियॉ बनवायी जाकर सभी पर संबधितों के हस्ताक्षर करवाये एवं एक-एक सीडी को सीडी कवर में रखवा सीलचीट किया जाकर संबधितों के हस्ताक्षर करवाये एवं वार्ताओ की फर्द ट्रांसक्रिप्टें पृथक-पृथक मूर्तिक कर संबधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय करीब 01.30 पीएम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा दोनों स्वतंत्र गवाहानों के समक्ष परिवादी की निशादेही से घटनास्थल निरीक्षण कर फर्द घटनास्थल नक्शा मौका पृथक से तैयार कर संबंधितों के हस्ताक्षर करा शामिल कार्यवाही किया गया। समय करीब 03.05 पीएम पर तहसीलदार, तहसील व जिला डूंगरपुर को रिकॉर्ड

उपलब्ध कराने बाबत पत्रांक एसपीएल-04 दिनांक 16.05.2024 एवं माननीय उपखण्ड अधिकारी, उपखण्ड न्यायालय, डूंगरपुर को रिकॉर्ड उपलब्ध कराने बाबत पत्रांक एसपीएल-05 दिनांक 16.05.2024 जारी कर श्री महेश चन्द्र कानि. को तामील हेतु रवाना किया गया। तत्पश्चात् समय करीब 05.00 पीएम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक मय परिवादी व उपस्थित स्वतंत्र गवाह के समक्ष ट्रेप कार्यवाही विरूद्ध आरोपी श्री दिनेश पंचाल भू-अभिलेख में दिनांक 08.05.2024 व दिनांक 13.05.2024 को हुई रिश्वत् मांग सत्यापन वार्ताओं एवं दिनांक 16.05.2024 को हुई लेनदेन वार्ताऐं जो डिजिटल टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड में रिकार्ड हैं। उक्त मेमोरी कार्ड को डिजिटल वॉईस रिकार्डर से सुरक्षित निकालकर मूल मेमोरी कार्ड OXIN FLASH 8GB Micro SDHC Card को मेमोरी कार्ड कवर में रखकर वजह सबूत जप्त किया जाकर एक कपडे की थैली में रखा जाकर नियमानुसार सीलचीट किया जाकर मार्क ड अंकित कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। जिसकी फर्द अलग से मुर्तिब की जाकर संबंधितों हस्ताक्षर करवाये गये। समय करीब 05.15 पीएम पर अब तक की कार्यवाही से आरोपी श्री दिनेश पंचाल पुत्र श्री नाथूलाल पंचाल उम्र 50 वर्ष, जाति पंचाल निवासी मकान नं. जेएन 89 जयहिन्द नगर पुलिस थाना कोतवाली जिला डूंगरपुर हाल भू-अभिलेख निरीक्षक कार्यालय भू-अभिलेख निरीक्षक बिलडी, तहसील व जिला डूंगरपुर के विरूद्ध जुर्म धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का अपराध प्रमाणित होने से श्री दिनेश पंचाल को उसके द्वारा किये गये जुर्म से आगाह कर अन्तर्गत धारा 41(क) दण्ड प्रक्रिया संहिता का नोटिस दिया जाकर जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। फर्द गिरफ्तारी पृथक से मुर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय करीब 05.30 पीएम पर रवानाशुदा कानि. श्री महेश चन्द्र उपखण्ड न्यायालय, डूंगरपुर एवं तहसील कार्यालय डूंगरपुर से बाद तामील हाजिर आया और तामीलशुदा पत्र पेश किये जिन्हे शामील कार्यवाही किये गये। समय करीब 06.00 पीएम पर आरोपी श्री दिनेश पंचाल को अपनी आवाज का नमूना एवं स्पष्टीकरण देने हेतु क्रमशः पत्रांक एसपीएल-07, 08 दिनांक 16-05-2024 दिये गये। आरोपी ने उक्त पत्रों पर ही अपनी आवाज का नमूना नहीं देना चाहता हूँ एवं मैं अपना स्पष्टीकरण बाद में प्रस्तुत करूंगा प्रत्युत्तर लिखित में पेश किया। जिसे शामिल कार्यवाही किया गया। समय करीब 06.30 पीएम पर पूर्व में जरिये तहरीर कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, डूंगरपुर को रिकॉर्ड हेतु पाबन्द किये गये थे। जिसकी पालना में श्री देवीलाल यादव पिता श्री भूराजी यादव जाति यादव उम्र 54 वर्ष निवासी गोकुलधाम डी 49 न्यू कोलोनी डूंगरपुर हाल सहायक प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, डूंगरपुर (मो. नं. 9636474290) हाजिर आये और न्यायालय उपखण्ड अधिकारी डूंगरपुर के पत्रांक 235 दिनांक 16.05.2024 द्वारा रिकॉर्ड पेश किया गया। रिकार्ड का अवलोकन किया गया तो न्यायालय के प्रकरण संख्या 83/2019 दायर दिनांक 31.12.2019 एवं अन्तिम निर्णय दिनांक 22.03.2023 से संबंधित रिकार्ड उक्त प्रकरण से संबंधित आदेशिका एवं परिवादिया श्रीमती धनवन्ती कटारा पत्नी श्री शंकरलाल कटारा द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र एवं प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत जवाब की प्रति, प्रकरण की प्रारम्भिक डिकरी एवं प्रकरण की अन्तिम डिकरी जारी कर निर्देशित किया गया कि वादी एवं परिवादी के नाम रेवेन्यू रिकार्ड में इन्द्राज किये जाने के आदेश तहसीलदार डूंगरपुर के नाम जारी किये गये आदि रिकार्ड पाया गया। उक्त समस्त रिकार्ड को श्री निरज मिश्र उपखण्ड अधिकारी डूंगरपुर द्वारा सत्यापित किया गया हैं। रिकॉर्ड का अवलोकन कर शामील कार्यवाही किया गया। समय करीब 07.15 पीएम पर पूर्व में जरिये तहरीर तहसीलदार, डूंगरपुर को रिकॉर्ड हेतु पाबन्द किये गये थे। जिसकी पालना में श्री आशिष जोशी पिता श्री योगेश जोशी जाति ब्राहमण उम्र 33 वर्ष निवासी गांव बस्सी, गणेश मन्दिर के पास, तहसील दोवडा, जिला डूंगरपुर हाल पटवार पटवार मण्डल खेडा कच्छवासा, तहसील व जिला डूंगरपुर (मो. नं. 7568767918) हाजिर आये जिन्होने तहसीलदार जिला डूंगरपुर के पत्रांक 630 दिनांक 16.05.2024 के द्वारा रिकार्ड पेश कर बताया कि तहसील कार्यालय के आदेश क्रमांक 2105 दिनांक 21.08.2023 द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी डूंगरपुर के प्रकरण संख्या 83/2019 दिनांक 31.12.2019 अन्तिम डिकरी निर्णय दिनांक 22.03.2023 की पालना हेतु प्राप्त हुआ था। उक्त आदेश की पालना में मेरे द्वारा 30.12.2023 को नामान्तरण दायर कर लिया गया था। फिर इसकी तरमीम कार्य दिनांक 17.01.2024 को मेरे द्वारा किया जाकर अग्रिम कार्यवाही हेतु तहसीलदार डूंगरपुर को प्रेषित किया गया। जिस पर तहसीलदार डूंगरपुर द्वारा दिनांक 12.02.2024 को अन्तिम प्रमाणित किया गया। इस प्रकार मेरे द्वारा खातेदार श्री शंकरलाल पुत्र कानजी कटारा निवासी मनपुर को खाता संख्या 809 द्वारा शामलाती खाते से अलग कर लिया गया था एवं खाता संख्या 810 से खातेदार श्रीमती धनवंती पत्नी श्री शंकरलाल निवासी मनपुर का भी सामलाती खाते से अलग खाता कर दिया गया था। इससे संबंधित रिकार्ड को श्री बाबूसिंह राजपुरोहित तहसीलदार तहसील डूंगरपुर द्वारा प्रमाणित किया गया हैं। न्यायालय के निर्णय की पालना में मेरे द्वारा श्री शंकरलाल कटारा एवं उनकी पत्नी श्रीमती धनवंती के सामलाती खाते में से अलग-अलग खातों में विभाजन किया गया जिसकी सूचना मैने श्री शंकरलाल कटारा एवं उनकी पत्नी श्रीमती धनवंती मौखिक या लिखित में नहीं दी गई थी। परिवादी श्री शंकरलाल एवं आरोपी श्री दिनेश पंचाल को मैं अच्छी तरह जानता हूँ इसलिए मैं उनकी आवाज को पहचान सकता हूँ । जिस पर आरोपी श्री दिनेश पंचाल एवं परिवादी श्री शंकरलाल के मध्य दिनांक 08.05.2024 एवं 13.05.2024 को हुई मांग सत्यापन वार्ता एवं दिनांक 16.05.2024 को दौराने ट्रेप कार्यवाही हुई लेनदेन वार्ता की डब सिडियों को अलग-अलग कार्यालय के लेपटोप से चलाकर सुनाई गई तो श्री आशिष जोशी ने बताया कि इसमें एक आवाज श्री दिनेश पंचाल गिरदावर साहब की हैं एवं दूसरी आवाज श्री शंकरलाल कटारा की

है। समय करीब 07.30 पीएम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान, ब्यूरो जाप्ता, परिवादी, गिरफ्तारशुदा आरोपी श्री दिनेश पंचाल, आर्टिकल, रिश्वत राशि, डिजिटल टेप रिकॉर्डर, टेªप बॉक्स एवं खाना तलाशी में मिली राशि व दस्तावेज इत्यादि के सरकारी वाहन एवं सरकारी मोटर साईकिल तथा निजी मोटर साईकिलों से आरोपी के रिहायशी मकान से रवाना हो ब्यूरो इकाई डूंगरपुर पर पहुँचा और उक्त कार्यवाही में मालखाना आर्टिकल, सिलचिटशुदा रिश्वती राशि इत्यादि को मालखाना प्रभारी श्री वीरविक्रम सिंह कानि को दुरूस्त हालात में संभलाये गये। परिवादी, दोनो गवाहान एवं महिला कानि. को मुनासिब हिदायत दी जाकर रूखसत किया गया। तत्पश्चात् आरोपी का स्वास्थ्य परीक्षण करवाया जाकर सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस थाना सदर में बंद हवालात कराया गया। दिनांक 17.05.2024 को पुलिस थाना सदर से आरोपी श्री दिनेश पंचाल को प्राप्त कर जरिये जैसी रिमाण्ड हेतु माननीय विशिष्ठ न्यायाधीश, सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, क्रम संख्या 01, उदयपुर में पेश किया गया जहां से माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी श्री दिनेश पंचाल को न्यायिक अभिरक्षा में भेजने का आदेश दिया गया। जिस पर आरोपी का जे.सी. वारण्ट प्राप्त कर आरोपी को केन्द्रीय कारागृह उदयपुर में जमा करवा प्राप्ति रसीद प्राप्त कर सामिल पत्रावली की गई। इस प्रकार अब तक की कार्यवाही से यह पाया गया है कि श्री दिनेश पंचाल पुत्र श्री नाथूलाल पंचाल उम्र 50 वर्ष, जाति पंचाल निवासी मकान नं. जेएन 89 जयहिन्द नगर पुलिस थाना कोतवाली जिला डूंगरपुर हाल भू-अभिलेख निरीक्षक कार्यालय भू-अभिलेख निरीक्षक बिलडी, तहसील व जिला डूंगरपुर द्वारा एक लोकसेवक होते हुये अपने वैध पारिश्रमिक के अलावा पदीय कार्य करने में भ्रष्ट एवं अवैध तरीके से परिवादी श्री शंकरलाल से उसके सामलियात कृषि भूमि का अलग-अलग नाम से नामान्तरण खोलने की एवज में 50000 रूपये की मांग की। दौराने मांग सत्यापन 25000 रूपये रिश्वती राशि लेने पर सहमत हुआ। तत्पश्चात दिनांक 16.05.2024 को ट्रेप कार्यवाही की गई। दौराने ट्रेप कार्यवाही आरोपी श्री दिनेश पंचाल भू-अभिलेख निरीक्षक ने परिवादी श्री शंकरलाल रिश्वती राशि 25,000 रूपये मांग कर ग्रहण करना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है, जो कि जुर्म धारा 7 पी.सी.एक्ट (संशोधित) 2018 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः आरोपी श्री दिनेश पंचाल पुत्र श्री नाथूलाल पंचाल उम्र 50 वर्ष, जाति पंचाल निवासी मकान नं. जेएन 89 जयहिन्द नगर पुलिस थाना कोतवाली जिला डूंगरपुर हाल भू-अभिलेख निरीक्षक कार्यालय भू-अभिलेख निरीक्षक बिलडी, तहसील व जिला डूंगरपुर के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 7 पी.सी.एक्ट (संशोधित) 2018 में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांकन हेतु प्रेषित है। (रतनसिंह राजपुरोहित) पुलिस उप अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो डूंगरपुर.....कार्यवाही पुलिस..... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री रतनसिंह राजपुरोहित, पुलिस उप अधीक्षक , भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, डूंगरपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री दिनेश पंचाल पुत्र श्री नाथूलाल पंचाल, निवासी मकान नम्बर जेएन 89, जय हिन्द नगर पुलिस थाना कोतवाली जिला डूंगरपुर हाल भू–अभिलेख निरीक्षक, कार्यलय भू–अभिलेख निरीक्षक बिलडी, तहसील व जिला डूंगरपुर के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। अनुसंधान अधिकारी डॉ शोनू शेखावत, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, ईन्टे. उदयपुर को मनोनीत किया गया। उक्त की रोजनामचा आम रपट 268 पर अंकित है। (विशनाराम) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर। क्रमांक 438-41 दिनांक 17.05.2024 प्रतिलिपिः.सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। 1 विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, उदयपुर। 2 जिला कलक्टर, डूंगरपुर। 3 उप महानिरीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो उदयपुर। 4 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, डूंगरपुर। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** SONU SHEKHAWAT **Rank (पद):** निरीक्षक

No(सं.): to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Vishanaram
Location: Rajasthan,IN
Date: 17/05/2024 20:16:04

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): Vishanaram

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	24/11/1974				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)